Sec 84

मध्यप्रदेश शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक/0 /12/2018

क्रमांक 865 /2018/21-ब(एक),

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म0 प्र0 शासन,
सामाजिक न्याय तथा नि:शक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

NK-01

14/12/18

विषय:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपसे प्राप्त पत्र क्रमांक 1531/162/ 18/26-2, दिनांक 22.11.2018

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 84 के अंतर्गत दिनांक 8.12.2017 को अधिसूचना जारी करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण किए जाने के प्रयोजन हेतु, राज्य के प्रत्येक सत्र संभाग में एक विशेष न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालय को विनिर्दिष्ट किया गया है। दिनांक 8.12.2017 को जारी अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार.

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

(गंगाचरण शर्मा) 07.12.18
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक /0/12/2018

जावक नंबर 1156 /प्रस/सान्याय/2018
दिनांक 12-12-18

क्रमांक 865 /2018/21-ब(एक),

प्रतिलिपि ,

1. अनुभाग अधिकारी, न्यायिक शाखा-2, विधि विभाग की ओर आपसे प्राप्त नेमी टीप दिनांक 5.12.2018 के संदर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 84 के अंतर्गत दिनांक 8.12.2017 को जारी अधिसूचना की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(गंगाचरण शर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

OIC (नि.-सशा.)

13 DEC 2018

1454
14-12-18

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 8/11/12/2017

फा.क्र.17(ई)47/2017/21–ब(एक)4869/2017–विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण किए जाने के प्रयोजन हेतु, राज्य के प्रत्येक सत्र संभाग में एक विशेष न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालय विनिर्दिष्ट करता है।

NOTIFICATION

F.No. 17(E) 47 /2017/21-B(1) 4869 /2017- In exercise of the powers conferred by section 84 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (No.49 of 2016), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specifies Court of Session in each Session Division of the State as a Special Court for the purpose of providing speedy trial of offences under the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

8/12/2017

(ए.एम.सक्सेना)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 17(ई)47/2017/21–ब(एक)4869/2017, भोपाल दिनांक 8/11/12/2017.

प्रतिलिपि:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, के पत्र क्र.सी/4566 III-6-3/17, दिनांक 5.11.2017 के संदर्भ में,
2. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग 1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित ( ) केवल मुद्रणालय के लिये।

3. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.वाणी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग